(83)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर0के0 मिश्रा

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 931–दो/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–01–2017 पारित द्वारा तहसीलदार देवसर वृत्त वरगंवा जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 139/अ–6–अ/15–16.

.....

अरविन्द कुमार द्विवेदी पुत्र स्व0 रामखिलावन द्विवेदी
निवासी ग्राम खेरवड़ा तहसील देवसर
जिला सिंगरौली म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1. मनीलाल पुत्र सुखदेव मोर्तिया
2. रामविलास
3. रामकृपाल
4. संतकुमार
5. अरूण कुमार
6. राकेश कुमार पुत्रगण ज्ञानदत्त
7. कृष्णाराम पुत्र तिलकधारी मोर्तिया
8. बाला प्रसाद
9. विष्णुदत्त
10. दशरथ प्रसाद पुत्रगण देवीप्रसाद मोर्तिया

निवासीगण ग्राम जोवगढ़ तहसील देवसर
जिला सिंगरौली म0प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार देवसर वृत्त वरगंवा जिला सिंगरौली के आदेश दिनांक 25–1–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने वादग्रस्त भूमि ख0कं0 158 रकवा 0.101, 159 रकवा 0.081, 160 रकवा 0.242, 161 रकवा 0.486 किता 4 योग रकवा 0.910 है0 एवं नया नं0 395 रकवा 0.900 है0 भूमि पर राजस्व अभिलेख में नाम इन्द्राज हेतु संहिता की धारा 115/116 के तहत आवेदन तहसील न्यायालय देवसर के समक्ष पेश किया। उक्त आवेदन पर प्रकरण कमांक 139/अ–6–अ/15–16 दर्ज किया और प्रकरण के प्रचलित रहने के दौरान तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 25–1–17 पारित किया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि खसरे में नाम जोडने तथा अभिलेख सुधार हेतु आवेदन पत्र तहसील न्याालय में प्रस्तुत किया गया था। आवेदक द्वारा भूमि कय करने के उपरांत नाम दर्ज करने का आवेदन प्रस्तुत किया था जिसपर तहसीलदार द्वारा नाम दर्ज न कर विलंबित करने के आशय से रिपोर्ट मंगाने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण नियत किया जा रहा है। तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही उचित नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार का अंतरिम आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदक ने नाम इन्द्राज हेतु संहिता की धारा 115/116 के तहत आवेदन तहसील न्यायालय में पेश किया था जहां आवेदक ने सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया। तहसीलदार द्वारा आवेदक के प्रकरण में अनावेदक का जबाव एवं राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन मंगाने के आदेश दिये जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तहसीलदार द्वारा विधिवत प्रकिया अपना कार्यवाही की जा रही है। अतः इस निगरानी में कोई आधार नहीं होने से निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 115/116 के तहत भूमिस्वामी दर्ज किये जाने

के संबंध में प्रकरण है। प्रविष्टि सुधार में पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती है तथा दीगर साक्ष्य भी लिया जाना आवश्यक है। दिनांक 25–1–2017 के आदेश के तहत तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट आहूत की है जो एक सहज प्रकिया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होने से पुनरीक्षण आधारहीन प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अस्वीकार की जाती है।

पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

23/7/18

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर